न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)

पीठासीन न्यायाधीश-**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप0 वि0 जमानत आवेदन सख्या-124/2026

CiS No. 81/2026

कैलाश पुत्र लक्ष्मण, उम्र-38 साल, निवासी हरिपुरा, भूमरिया, पुलिस थाना भोजपुर, जिला-राजगढ(एम.पी.)

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य..**अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्राथमिकी संख्या-178/2025 थाना असनावर, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 29 NDPS Act

उपस्थितः-

1-श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 13.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनाक 29-08-2025 को मोहनचंद उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना असनावर मय जाब्ता थाने से 04.29 ए.एम. चैकिंग अवैध कार्यो हेतु रवाना होकर थाने के सामने एनएच 52 पर पहुंचा, जहां पर आने जाने वाले वाहनो की चैकिंग कर रहा था कि 05.40 ए. एम. पर एक व्यक्ति अवकलेरा की तरफ से पैदल-पैदल आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस जीप, जाते को नाकाबंदी करता हुआ देखकर एकदम से मुडकर तेज कदमों से एसडीएम कार्यालय की तरफ जाने लगा, जिस पर संदेह होने पर जाप्ता की

मदद से रोका तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महिपाल पुत्र मोतीराम उम्र 30 साल निवासी इनाणा थाना मुंडया मारवाड जिला नागौर का होना बताया। उक्त शख्स की गतिविधिया संदिग्ध प्रतीत होने से उसकी तलाशी लिवाया जाना आवश्यक होने से दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु सत्यनारायण कानि. को हुक्मनामा देकर रवाना किया, जिसने बापस आकर कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं मिलना बताने पर जाते में से गवाह मामूर किये तथा डिटेनशुदा शख्स महिपाल को विकल्प पत्र देकर अवगत कराया कि मैं मोहनचंद उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना असनावर हूं, मुझे आपके पास में कोई अवैध मादक पदार्थ अथवा वस्तु या हथियार होने का संदेह है, इसलिए आपकी तलाशी लिया जाना आवश्यक है, आप अपनी तलाशी किसी भी नजदीकी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते है या उन्हे बुलाकर आपकी तलाशी लिवाई जा सकती है, जो आपको उन्मोचित भी कर सकते है, जिस पर डिटेनशुदा शख्स महिपाल ने उसके द्वारा ही तलाशी लेने की सहमति दी, जिस पर नियमानुसार गवाहान व स्वयं की आपस में तलाशी लिवाई गई। तत्पश्चात शख्स महिपाल की तलाशी ली गई तो पहनी हुई पेट की दांहिनी जेब में एक सफेद पोलीथीन की पारदर्शी थैली मिली जिसमे एक और पॉलीथीन की शैली मिली जिस पर गठान लगी हुई है, जिसको खोलकर देखा तो मटमैला रंग का पदार्थ भरा हुआ मिला, जिसको देखा, गवाहान को दिखाया व परख की तो पूर्व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। शख्स महिपाल ने भी उक्त पदार्थ को मादक पदार्थ स्मैक ही होना बताया, जिसका नियमानुसार तौल किया तो पोलीथीन की थैली सहित मादक पदार्थ स्मैक का कुल वजन 75 ग्राम हुआ। महिपाल से मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महिला का उक्त कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से इसके कब्जे से मिली मादक पदार्थ स्मैक को बतौर वजह सबूत जप्त कर अभियुक्त महिपाल को गिरफ्तार किया गया तथा प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त महिपाल ने उक्त मादक पदार्थ स्मैक बंटी नाम के शख्स से अकलेरा से 80000/-रूपये में खरीद कर लाना

बताया तथा नथू पुत्र छोटाराम कामड निवासी ईनाणा थाना मुडया मारवाड जिला नागौर को ले जाकर देना बताया। बाद किये जाने मौके की कार्यवाही वापसी थाना पर प्रकरण संख्या-178/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त बने सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने अभियुक्त कैलाश के साथ मिलकर जब्तशुदा स्मैक अभियुक्त महिपाल को देना तथा स्मैक विक्रय की राशि में से तीन हजार रूपये अभियुक्त कैलाश के बैंक खाता में ट्रांसफर किये गये। इस पर अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण अनुसंधनाधीन चल रहा है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जब्तशुदा मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार के कथित मादक पदार्थ की बरामदगी नही हुई है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मुल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि दिनांक 29.08.2025 को अभियुक्त महिपाल के सचेतन कब्जे से 75 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त महिपाल ने अभियुक्त बने सिंह से खरीदकर लाना तथा बने सिंह ने उक्त स्मैक अभियुक्त कैलाश के साथ मिलकर अभियुक्त महिपाल को देना कथन किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 29.08.2025 को अभियुक्त

महिपाल के सचेतन कब्जे से 75 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त महिपाल ने अभियुक्त बने सिंह से अस्सी हजार रूपये में खरीदकर लाना तथा बने सिंह ने उक्त स्मैक अभियुक्त कैलाश के साथ मिलकर अभियुक्त महिपाल को देना कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार से मादक पदार्थ की बरामदगी किया जाना नहीं बताया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त एस.बी.क्रिमि.मिस.बेल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 खेत सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 25.01.2021 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि As per Section 439 Cr.PC. The Sessions Court as well as the High Court while considering the bail application/s of arrested accused have concurrent jurisdiction. Needless to say that while considering bail applications of similarly situated accused persons. Parity has to be maintained and it should be ensured that unless any distinguishable feature or any special circumstance is in existence, the bails of a subsequently arrested accused on same footing should not be dismissed when other/s with similar allegartion/s have been extended indulgence of bail. मुख्य अभियुक्त महिपाल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत ली जा चुकी है तथा अभियुक्त नथुदास की दिनाक 05.12.2025 को तथा बने सिंह की दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा जमानत ली जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त बने सिंह तथा नथुदास से भिन्न्न प्रकृति का नहीं है। अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के तथ्यों परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक आदेश की रोशनी में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **कैलाश** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्रकरण में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद स्वयं का मुचलका तादादी 1,00,000/- रूपये तथा 50,000-50,000/- राशि की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-1

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सक
है।